



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली
न्यायालय परिसर, पाली

फोन नं. 02932-220035, फैक्स नं.- 02932-220035

क्रमांक/सामान्य/2018/59

दिनांक :- 08/08/2018

विज्ञापित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली एवं पाली जिले की तालुका विधिक सेवा समितियों में वर्तमान में निम्नानुसार कनिष्ठ सहायक के 7 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 11 पद रिक्त है।

क्र. सं.	प्राधिकरण/समिति का नाम	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली	0	4
2	तालुका विधिक सेवा समिति, बाली	1	1
3	तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत	1	1
4	तालुका विधिक सेवा समिति, जैतारण	1	1
5	तालुका विधिक सेवा समिति, सुमेरपुर	1	1
6	तालुका विधिक सेवा समिति, बर	1	1
7	तालुका विधिक सेवा समिति, मारवाड जंक्शन	1	1
8	तालुका विधिक सेवा समिति, देसूरी	1	1

राजस्थान सरकार, विधि (गुप-2) विभाग का आदेश क्रमांक प.8(1) विधि - 2/वि. र.स./ (148) 2017/851 दिनांक 04.07.2018, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 41784-41821 दिनांक 28.02.2018 व पत्र क्रमांक 17359-17393 दिनांक 16.07.2018 के अनुक्रम में पाली न्यायक्षेत्र में कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभागो/पीएसयू से सेवानिवृत्त कार्मिक से संविदा पर सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक विज्ञापित के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तों के अध्याधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 24.08.2018 को 5.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, पाली की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/pali> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 24.08.2018 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत जिला न्यायालय, पाली की वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

Diya

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
पाली।

क्रमांक / सामान्य / 2018 / 423

दिनांक :- 08/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, समस्त राजस्थान।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली
4. जिला कलेक्टर, पाली को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs में सूचित करने बाबत।
5. तालुका विधिक सेवा समिति, बाली / सोजत / जैतारण / सुमेरपुर / बर / देसुरी / मा.जं.
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, पाली को अखबार में प्रकाशन हेतु।
7. जिला नियोजन अधिकारी, पाली
8. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली को जिला न्यायालय, पाली की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
पाली।



कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु (दिनांक 01.03.2019) :- वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार (1)..... (2)..... (3).....
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील